



मीरजापुर पुलिस —प्रेस नोट—



दिनांक: 23.12.2024

थाना को0कटरा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 201 टेद्रा पैक/केन की अवैध अग्रेजी शराब (अनुमानित कीमत 50 हजार रुपये) के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार —

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'अभिनन्दन' द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान तथा अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक: 23.12.2024 को थाना को0कटरा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना को0कटरा क्षेत्रांतर्गत जिला जेल के पास से 02 नफर अभियुक्तगण 1.राम विनय महतो पुत्र महेन्द्र महतो निवासी नौला थाना भगवानपुर जिला बेगुसराय बिहार, 2. दीपक कुमार पुत्र रामचरित सिंह निवासी मोहल्ला रसलपुर बरौनी-1 थाना तेघरा जिला बेगुसराय बिहार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद पिड्डू बैग व 02 अदद झोला में 201 टेद्रा पैक/केन भिन्न-भिन्न ब्राण्ड की अवैध अग्रेजी शराब (अनुमानित कीमत 50 हजार रुपये) बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना को0कटरा पर मु0अ0सं0-242/2024 धारा 60/63 उ0प्र0आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

- 1.राम विनय महतो पुत्र महेन्द्र महतो निवासी नौला थाना भगवानपुर जिला बेगुसराय बिहार उम्र 38 वर्ष।
2. दीपक कुमार पुत्र रामचरित सिंह निवासी मोहल्ला रसलपुर बरौनी-1 थाना तेघरा जिला बेगुसराय बिहार उम्र 42 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0-242/2024 धारा 60/63 उ0प्र0आबकारी अधिनियम थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

जिला जेल के पास से, आज दिनांक: 23.12.2024 को समय 01.15 बजे।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम —

1. प्र0नि0अजीत कुमार सिंह थाना को0कटरा मीरजापुर मय पुलिस टीम।
2. निरीक्षक राजीव कुमार सिंह एसओजी प्रभारी मीरजापुर मय टीम।

